इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 23.12.2017 को जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में जोन संख्या 04 के अन्तर्गत नैनी क्षेत्र में अवैध निर्माणों के विरूद्ध व्यापक रूप से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

1. मो0 मुशरफ खॉन द्वारा मिर्जापुर रोड से मवैया वाली रोड पर भूतल पर लगभग 15000 वर्गमीटर निर्माणाधीन गेस्ट हाउस तथा लगभग 04 बीघे में किया गया प्लाटिंग ध्वस्त कराया गया।
2. श्री शाहिद मुखिया जमील वगैरह द्वारा आ0स0 85 के पास प्राधिकरण की अध्याप्त एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर लगभग 25X20 में दुकान का निर्माण कराया जिससे ध्वस्त कराकर प्राधिकरण की भूमि कब्जा मुम्त कराया गया।
3. श्री आशिक बाबा द्वारा आराजी संख्या 96 मौजा चक बबुरा अलीमा बाद पर प्राधिकरण की अध्याप्ति भूमि पर लगभग 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में आवासीय निर्माण बाऊन्ड्रीवाल व शेड ध्वस्त कराते हुए प्राधिकरण की भूमि कब्जा मुक्त कराया गया। इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट हेतु तहरीर थाना नैनी प्रेषित है।
4. श्री निसार अहमद द्वारा अराजी संख्या 126 व 125 मौजा चक बबुरा अलीमा बाद प्राधिकरण की अध्याप्त एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर लगभग 400 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 09 फिट उची बाऊन्ड्रीवाल एवं टीन सेड का निर्माण किया गया था जिसके विरूद्ध पारित ध्वस्त्नादेश को कियान्वित करते हुए ध्वस्त कराकर प्राधिकरण भूमि कब्जा मुक्त करायी गयी। श्री निसार अहमद के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना नैनी में दर्ज कराया गया है।
5. श्री संजय मिश्रा द्वारा अराजी संख्या 90 व 91 मौजा चकरघुनाथ विकास रोड नैनी पर प्राधिकरण की अध्याप्त एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर लगभग 150 वर्गमीटर निर्मित में बाऊन्ड्रीवाल को ध्वस्त प्राधिकरण की भूमि मुक्त कराया गया।
6. श्रीमती रेनू देवी पत्नी श्री अमर नाथ द्वारा अराजी संख्या 23 मि0 मौजा चक तेजऊ दिक्षित स्थित प्राधिकरण की अध्याप्त एवं कब्जा भूमि पर लगभग 100 वर्गमीटर में बाऊन्ड्रीवाल एवं भवन निर्माण हेतु नीव को ध्वस्त कराकर प्राधिकरण की भूमि मुक्त करायी गयी।
7. आराजी संख्या 117 पर अतिक्रमण पर रखी गयी गोमटी आदि हटाकर लगभग 3000 वर्गमीटर प्राधिकरण की अध्याप्त भूमि अवमुक्त करायी गयी।

उक्त कार्यवाही के दौरान जोनल अधिकारी/विशेष कार्याधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय, के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियंता सच्चिदानन्द सिंह,सुनील कुमार शर्मा,अंशु गर्ग भवन निरीक्षक श्री कुंवर सिंह के अतिरिक्त तहसीलदार–करछना, इंस्पेक्टर नैनी, चौकी इंचार्ज ए.डी.ए. कालोनी सहित पुलिस व पी0ए0सी0 बल एवं ए.डी.ए. प्रवर्तन दल उपस्थित रहे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सिविल लाइन्स में क्लाइब रोड पर स्थित अवैध रूप से संचालित फाक्स वैगन शोरूम सील किया गया।

(ए0के0 पाण्डेय)
जोनल अधिकारी
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

जोनल अधिकारी